

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल 2017

विषय:- Proposed forest land diversion of 0-84 ha. With felling of 201 number of trees for establishment of Toll Plaza on Faizabad- Allahabad NH 330(Old NH 96) between km 12-600 to km 12-950 in Faizabad District of Uttar Pradesh-reg सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/19/2017/एफसी/CAMP/14317, दिनांक 14-3-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि शासन के पत्र संख्या-पी-5/14-2-2017-800(2)/2017, दिनांक 03 मार्च 2017 के क्रम में कतिपय आपत्तियों के निराकरण के सम्बंध में संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- विषयगत प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराया जाना है कि आपके कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 14-3-2017 (ऑन लाईन प्राप्त) के विषय में किसी अन्य परियोजना का विवरण अंकित हो गया है, जो इस प्रकार है:-

पत्र दिनांक 14-3-2017 में त्रुटिवश अंकित विषय	वास्तव में विषय, जो अंकित होना चाहिये
proposed forest land diversion of 0-84 ha. With felling of 201 number of trees for establishment of Toll Plaza on Faizabad-Allahabad NH 330(Old NH 96) between km 12-600 to km 12-950 in Faizabad District of Uttar Pradesh-reg सम्बंध में।	कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 14-3-2017 में वास्तविक विषय को अंकित करते हुये प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु संशोधित पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव